

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
ई0प0सं0-74929
संख्या: 345136/2025/XXVII(9)/स्टाम्प-82/2009
देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) की धारा 78 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से शासन की पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 217 (1)/2015/XXVII(9)/स्टाम्प-01/2010 दिनांक 14, सितम्बर, 2015 के प्रस्तर (क) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) रजिस्ट्रेशन शुल्क की सारिणी में शब्द “पच्चीस हजार रुपये मात्र” के स्थान पर शब्द “पचास हजार रुपये मात्र” रख दिये जायेंगे।

Digitally signed by
Dilip Jawalkar

Date: 16-11-2025 (दिलीप जावलकर)
21:02:22 सचिव।

संख्या-345136(1)/2025/XXVII(9)/स्टाम्प-82/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, न्याय/विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
6. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित करते हुए उसकी 100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 345136 /2025/XXVII (9)/Stamp-82/2009/E-74929 dated 17 November, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 345136 /2025/XXVII(9)/Stamp-82/2009/E-74929
Dehradun: dated: 17 November, 2025

Notification

In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor, gives his assent to make the following amendment in clause (a) of the Government Notification No. 217(1)/2015/ XXVII (9)/Stamp-01/2010 dated 14th September, 2015, issued earlier, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

(a) In the Table of Registration Fee, for the words "twenty-five thousand rupees only", the words "fifty thousand rupees only" shall be substituted.

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 16-11-2025
21:01:05
(Dilip Jawalkar)
Secretary,